समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

यासिन मलिक का दावा : पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने हाफिज सईद से मिलने पर जताई कृतज्ञता

Publisher

Published on 19 Sep 2025

जम्मू-कश्मीर के पूर्व अलगाववादी नेता **यासिन मलिक** ने दिल्ली हाईकोर्ट में अटेस्टेड हलफनामे (Affidavit) दाखिल किया है। इस हलफनामे में मलिक ने दावा किया है कि **पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह** ने उन्हें हाफिज सईद से मिलने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की और धन्यवाद दिया।

हलफनामे की मुख्य बाते

यासिन मलिक ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात के दौरान हाफिज सईद से मिलने के संबंध में जानकारी साझा की। इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने उनके प्रयासों को सकारात्मक रूप से देखा और उन्हें कृतज्ञता जताई।

मलिक ने कोर्ट को बताया कि यह मामला केवल बातचीत और संपर्क का है, और इसमें किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि शामिल नहीं थी। हलफनामे में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने हमेशा कानूनी और संवैधानिक सीमाओं का पालन किया।

राजनीतिक और कानूनी प्रतिक्रिया

यह हलफनामा दाखिल होने के बाद राजनीति में हलचल मची है। कई विपक्षी नेताओं ने इसे गंभीर मामला बताया है और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान देने योग्य है। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि हलफनामे में प्रस्तुत विवरण केवल मलिक के दावों पर आधारित है और कोर्ट इस पर जांच कर सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में यह हलफनामा दाखिल होना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर्ट इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है और सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय देगी।

मनमोहन सिंह का कथित जवाब

यासिन मलिक ने अपने हलफनामे में दावा किया कि पूर्व पीएम ने उन्हें स्पष्ट रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री ने मेरे प्रयासों की सराहना की और कहा कि बातचीत और संपर्क के माध्यम से सूचना साझा करना महत्वपूर्ण है।"

हालांकि, मनमोहन सिंह या उनके कार्यालय की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। यह मामला राजनीति और न्याय दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हाफिज सईद और राष्ट्रीय सुरक्षा

हाफिज सईद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन **जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF)** और **लश्कर-ए-तैयबा** से जुड़े रहे हैं। भारत में उनके खिलाफ कई गंभीर आतंकवादी मामले दर्ज हैं। यासिन मलिक का दावा कि पूर्व पीएम ने उनके प्रयासों की सराहना की, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस हलफनामे से आतंकवाद, राजनीतिक संवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच जटिल संबंध सामने आते हैं। कोर्ट इस मामले की जांच और सत्यापन के बाद ही निष्कर्ष दे सकती है।

हलफनामे की कानूनी महत्ता

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे का अर्थ यह है कि यासिन मलिक अपने दावे को कानूनी रूप से मान्यता देना चाहते हैं। यह हलफनामा अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का हिस्सा माना जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट इस हलफनामे को जांच के दौरान **साक्ष्य और प्रतिपक्ष के जवाब** के आधार पर महत्व दे सकती है। अगर अदालत इस हलफनामे को प्रमाणिक मानती है, तो इसका राजनीतिक और कानूनी प्रभाव दोनों हो सकता है।

यासिन मलिक द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे ने राजनीति और न्याय दोनों में हलचल मचा दी है। उनका दावा कि पूर्व पीएम **मनमोहन सिंह ने हाफिज सईद से मिलने के प्रयासों के लिए उन्हे धंन्यवाद दिया**, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक दृष्टिकोण से गंभीर माना जा रहा है।

हालांकि, मनमोहन सिंह या उनके कार्यालय की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोर्ट अब इस हलफनामे की सच्चाई और तथ्यों की जांच करेगी। यह मामला भविष्य में भारत-पाकिस्तान संबंध, आतंकवाद और राजनीतिक संवाद पर भी प्रभाव डाल सकता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.